

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0को0.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक...../
चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनावर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
(सामान्य घटक) में पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु प्रथम किस्त कुल रु0-
70,76,000=00 (सत्तर लाख छियत्तर हजार) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार- पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-ई0गा0रा0वि0पे0-12/2013-
स0क0-14 पटना, दिनांक-22/05/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 में उल्लेखित
निदेशो एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-1014 दिनांक-16.05.2013 के आलोक में पेंशनधारियों को प्रथम किस्त
नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-4 के अनुसार कुल रु0 70,76,000=00 (सत्तर लाख छियत्तर हजार)
रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

- 2- उपावंटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उप-शीर्ष-0103-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-p-2235031010103 तथा
स्कीम कोड-WEL-5500 से विकलनीय होगा।
- 3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- 4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- 5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निरिखत रूप से उपलब्ध
करायी जाय।
- 6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशो का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

६०

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक 277-2 / सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 28/6/13 /

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचना एवं समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (सामान्य घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार उपावंटन तालिका:-

क0	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	उपावंटित राशि
1	2	3	4
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	535	481500
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	197	177300
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	240	216000
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	464	417600
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	219	197100
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	286	257400
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	296	266400
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	995	936300
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	627	564300
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	630	607500
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	787	748700
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	729	656100
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	497	447300
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	1027	924300
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	198	178200
	कुल योग :-	7727	7076000

मो0 (सत्तर लाख छियत्तर हजार) रुपये मात्र।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।